



कार्यालय:— नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना।

नगर विकास एवं आवास विभाग

(ई-टेंडरिंग द्वारा <https://:eproc2.bihar.gov.in>)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या— 06/2026-27



नगर पंचायत, नौबतपुर क्षेत्रान्तर्गत आपातकालीन स्थिति में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संवेदकों को सूचीबद्ध करने हेतु अल्पकालीन निविदा

आमंत्रण सूचना

RFP NO-06/2026-27

01. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर।
02. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि— दिनांक— 22.06.2026
03. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की प्रारंभ तिथि एवं समय—दिनांक—01.07.2026 से समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से।
(On <https://:eproc2.bihar.gov.in>)
04. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि—दिनांक—08.07.2026 के समय—03:00 बजे अपराह्न तक।
(On <https://:eproc2.bihar.gov.in>)
05. बीड खोलने की तिथि— दिनांक—09.07.2026 समय—10:30 बजे पूर्वाह्न से।

नोट:— Bidders should submit Bid Processing fee through online payment as per amount generated on website:
<https://:eproc2.bihar.gov.in>

06. निविदा की वैधता अवधि :— 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
07. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

88
26/6/26
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, नौबतपुर।
8/7/26

नगर पंचायत, नौबतपुर क्षेत्रान्तर्गत आपातकालीन स्थिति में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संवेदकों को सूचीबद्ध करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

RFP NO-06/2026-27

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-04/सड़क-16-38/2025-5564 न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक- 19.05.2026 के आलोक में नगर पंचायत, नौबतपुर क्षेत्रान्तर्गत आपातकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा तथा अनिवार्य सुविधा एवं सेवा से संबंधित पुर्नस्थापन (Restoration) तथा मरम्मत के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संवेदकों का सूचीबद्ध किया जाना है।

अतः जनहित में इस कार्य को देखते हुए आपातकालीन स्थिति में किसी भी अनिवार्य कार्य का अद्यतन अनुसूचित दर (SOR) के आधार पर अधिकतम एक लाख रूपयों की लागत तक के कार्य के लिए संवेदको का सूचीबद्ध (Empanelment) हेतु सभी इच्छुक संवेदकों से प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में दिये गए प्रारूप में माँगी गई सूचना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्ताव ऑनलाईन आमंत्रित किया जाता है। संवेदकों से प्राप्त आवेदन प्रस्तावों को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष नगर पंचायत, नौबतपुर कार्यालय के सभागार में खोला जायेगा। निर्धारित तिथि को किसी कारणवश अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित समय पर निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक संवेदक/संस्था किसी भी कार्य दिवस तथा कार्यावधि में नगर पंचायत, नौबतपुर कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें:-

1. 10 संवेदको/ संस्था को सूचीबद्ध (Empanelment) किया जाना है।
2. एक वर्ष के लिए सूचीबद्ध (Empanelment) किया जाना है।
3. जो संवेदक/ संस्था प्रपत्र 'क' के सभी दस्तावेज में सफल होगा उसी संवेदक/ संस्था पर विचार किया जाएगा।
4. सफल संवेदको/संस्था के साथ एक हजार के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा के उपरांत कार्य आवंटित किया जायेगा।
5. सूचीबद्धता हेतु संवेदकों से विहित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित किया जात है। प्रपत्र 'क' (मॉडल प्रपत्र संलग्न) में बायोडाटा तथा प्रपत्र 'ख' (मॉडल प्रपत्र संलग्न) में विगत 03 (तीन) वित्तिय वर्षों में संबंधित जिला के सभी नगर निकाय में किये गये कार्यों की सूची एवं संबंधित कार्य अनुभव Completion Certificate संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. संवेदक के सूचीबद्ध होने के पश्चात् यदि पाया जाता है कि उनके द्वारा अपन आवेदन में गलत सूचना दी गयी थी तो उनकी सूचीबद्धता तत्काल रद्द करते हुए उनके निबंधन को काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।
7. विहित प्रपत्र 'ख' में उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर मान्य कार्यों के लिए विगत 03 (तीन) वर्षों में कराये गये कार्यों की कुल राशि (कॉलम 5 का योग) का आकलन करते हुए औसत अनुमान्य कार्य राशि की गणना की जाएगी तथा कुल औसत अनुमान्य कार्य राशि के आधार पर एक क्रमवार सूची तैयार किया जाएगा।
8. सूचीबद्ध संवेदक को क्रमानुसार एक समय एक ही कार्य आमंत्रित किया जायेगा। सभी सूचीबद्ध संवेदकों को कार्य आवंटित होने के पश्चात् पुनः संवेदको का क्रमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
9. प्रत्येक कार्य के लिए विभागीय नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
10. संवेदक संस्था का नाम एवं पता, मोबाईल नं०।
11. संवेदक/ संस्था का चतुर्थ श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
12. पैन कार्ड की प्रति।
13. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
14. संवेदको/ संस्था को (3000/-) तीन हजार रुपये मात्र निविदा फीस जो ऑनलाईन माध्यम से भुगतये होगा जो की अप्रत्यार्पणीय (Non Refundable) होगा।
15. संवेदको/संस्था को (10,000/-) दस हजार रुपये मात्र का अग्रधन की राशि जो ऑनलाईन के माध्यम भुगतये होगा, जो पैनल संवेदकों का एकरारनामा के अवधि के समाप्ति के पश्चात वापस किया जायेगा।


16. निविदादाता को वीरय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (जो की निविदा प्रकाशित होने की तिथि से अधिकतम छः (06) माह पूर्व का न हो) संलग्न कराना अनिवार्य होगा।
17. प्रकाशित होने के तिथि के बाद तिथि से निविदाता द्वारा First class Magistrate/Executive Magistrate के स्तर से निर्गत काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा।

“मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—

- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Resceind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल नगर निकाय के कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/कर्मि के रूप में कार्यरत नहीं है।

18. सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए।

नोट:— प्रकाशित सूचना में परिवर्तन या बिना कारण बताये प्रस्ताव/अभिरुचि की अभिव्यक्ति अमंत्रण को रद्द करने अथवा स्थगित करे का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, नौबतपुर।

प्रपत्र- "क"
(बायोडाटा)

1. संवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. वर्तमान पता :-
4. स्थायी पता :-
5. निबंधन नियावली 2007 के
अंतर्गत निबंधन संख्या :-
(स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)
6. आधार कार्ड संख्या :-
(छाया प्रति संलग्न)
7. जी0एस0टी0 निबंधन संख्या :-
8. बैंक लेखा की विवरणी
बैंक का नाम :-
शाखा का नाम :-
खाता का प्रकार :-
आई0एफ0एस0सी0 कोड :-
9. अग्रधन की राशि की विवरणी (मूल में संलग्न करें)
राशि :-
बैंक ड्राफ्ट संख्या :-
10. यदि विगत तीन वर्षों में डिवार/कालीकृत
किये गये हो तो इसकी विवरणी :-
11. किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित किये गये हो अथवा किसी भी विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की गई हो तो उसका विवरण :-

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित सभी सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सही एवं मान्य है। उपरोक्त सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र गलत या दोष पूर्ण पाये जाने पर मैं विभाग मेरे प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए मेरे निबंधन को निरस्त/काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई कर सकता है।

संवेदक/आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र— "ख"

(कार्यानुभव एवं अन्य सूचनायें)

[illegible]

संवेदक/आवेदक का हस्ताक्षर